कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, चूरू (राजस्थान)

पीडब्लूडी ऑफिस के सामने, कलेक्ट्रेट के पास   दूरभाष 01562—250915 Email - cdeochuru@gmail.com

क्रमांकः— मुजिशिअ/समग्र शिक्षा/विधा संबल/चूरू/2026/   दिनांक :— यथाहस्ताक्षर

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय के आदेश क्रमांकःमुजिशिअ/चूरू/ 2026—27/2959 दिनांक 29.08.2026 के द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों—विद्यालयों में प्राध्यापक विषय—विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैक्लटी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा निर्देश एवं समय सारण जारी की गई हैं। श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के नवीनतम आदेश क्रमांक शिविरा—माध्य/संस्था/एफ—1ए/गेस्ट फेकल्टी/12226/2024— 25528—5729091 एवं राजकाज नम्बर 24275528 दिनांक 27.08.2026 के द्वारा जारी नवीमतम आदेशों की पालना में विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण के अन्तर्गत प्राध्यापक पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद/योग्यताए/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः—

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएः—

क्रं.सं.	पद का नाम	योग्यता
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम—2021 में संबंधित पद एवं विशय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः—

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियांः—

विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नही किया जा रहा है।

(3) रिक्तियों का प्रकाशनः—

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन/अवलोकन संबंधित विद्यालय/पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट **https://education.rajasthan.gov.in** पर किया जाएगा।

(4) आवदेन प्रक्रियाः—

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय—सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

Digitally signed by SANTOSH KUMAR MAHARSHI
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-30 12:08:02 IST

RajKaj Ref No.:
24288517

v-1.0

(5) वरीयता का निर्धारण

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको का 25 प्रतिशत अंकभार जोडकर किया जाएगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नही होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता कें कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करना:–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी:–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	सदस्य
3	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय:–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें:–

I. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रंदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।

II. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

III. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

IV. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

V. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

VI. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणी :– (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्रं. सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	31.08.2026
2.	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	01.09.2026
3.	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	02.09.2026 से 10.09.2026 (दोपहर 12 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	11.09.2026 (सायं 04 बजे तक)
5.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना।	12.09.2026 (दोपहर 02 बजे तक)
6.	**अस्थाई वरीयता सूची में आपत्तियाँ मॉगना।**	13.09.2026 से 14.09.2026 (दोपहर 12 बजे तक)
7.	अभ्यर्थियों आपत्तियाँ के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	15.09.2026 (सायं 06 बजे तक)
8.	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना	16.09.2026 (दोपहर 12 बजे तक)
9.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	17.09.2026 (दोपहर 12 बजे तक)
10.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	18.09.2026 (सायं 05 बजे तक)
11.	आदेश जारी करना	18.09.2026 (रात्रि 11:59 बजे तक)

(संतोष कुमार महर्षि)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, चूरू (राजस्थान)

क्रमांकः– मुजिशिअ/समग्र शिक्षा/विधा संबल/चूरू/2026/ दिनांक :– यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है–

1. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर चूरू।
3. श्रीमान श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, जयपुर।
4. श्रीमान संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
5. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक चूरू।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला–चूरू।
8. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त पी.ई.ई.ओ./प्राचार्य जिला–चूरू।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा, चूरू (राजस्थान)

Digitally signed by SANTOSH KUMAR MAHARSHI
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-30 12:08:02 IST

RajKaj Ref No.: 24288517

v-1.0